

New Edition

मत्स्यजीवी सहयोग समिति लि०
क्री

उपविधियाँ

प्रकाशक

बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ लि०
पटना

.....मत्स्यजीवी सहयोग समिति,
लिमिटेड ।

(बिहार को-ऑपरेटिव सोसाइटी ऐक्ट, 1935 के ऐक्ट 6 के अनुसार रजिस्टर्ड)

1. नाम : समिति का नाम.....

.....मत्स्यजीवी सहयोग समिति, लि० है । यह बिहार को-ऑपरेटिव सोसाइटी ऐक्ट, (1935 के ऐक्ट 6) के अनुसार निर्वाचित है ।

2. पता (1) समिति का रजिस्टर्ड ऑफिस मुकाम.....
पो.....

.....थाना.....प्रखण्ड.....
.....सबडिवीजन.....जिला.....

.....में है ।

(2) रजिस्ट्री करायें हुए ऑफिस में कोई भी हेरफेर होने से इसकी सूचना, बदलने के 15 दिनों के भीतर, रजिस्ट्रार, को-ऑपरेटिव सोसाइटी, रुपया देने वाले बैंक, अगर कोई हो और बिहार को-ऑपरेटिव फेडरेशन को देनी चाहिए ।

3. उद्देश्य-समिति का उद्देश्य इसके सदस्य मछुओं के बीच मितव्ययिता (कमखर्च), आत्मनिर्भरता (अपनी मदद आप) और सहयोग का प्रचार कर उनकी दशा को सुधारना है । इस उद्देश्य की पूर्ति में समिति को निम्नलिखित कुल या किसी काम को करने का अधिकार है -
(क) मछली मारने का ठीका लेकर या दूसरी तरह से मछली मारने का हक पाना;

(ख) समिति जिन जगहों में मछली मारने का हक शामिल करे उसमें मछली पकड़वाने का इन्तजाम करना या इस तरह का हक समिति के सदस्यों को ऐसी शर्तों पर देना जो समय-समय पर निर्धारित हो और पकड़ी गयी मछली को सुखवाने या दूसरी तरह बचाकर रखने का इन्तजाम करना;

(ग) समिति या इसके सदस्यों द्वारा पकड़ी गई या सुरक्षित रखी गई मछलियों को विक्री का प्रबन्ध करना;

(घ) मछली पकड़ने, मछली सुरक्षित रखने या मछलियों को नमकीन बनाने के औजारों को तैयार कराना या उनका स्टॉक रखना और नावों को समिति के सदस्यों या दूसरे लोगों के साथ बेचना या

किराए पर देना, सदस्यों को सस्ते दामों पर मछली मारने के औजार और नाव दिलाना;

(इ) व्यवसाय के मंदा पड़ने के दिनों में मछली पकड़ने, सुरक्षित रखने उसे नमकीन बनाने या उसकी विक्री से संबंधित खर्चों की मदद के लिए समय-समय पर कर्ज देना;

(च) कर्ज लेकर या रुपया जमा रख कर या उप विधियाँ में बताये गये दूसरे जरियों से निधि एकत्र करना;

(छ) समिति या इसके सदस्यों द्वारा पकड़ी गयी मछलियों, सुरक्षित रखी गयी मछलियों या नमकीन बनाकर रखी गयी मछलियों को विक्री केन्द्रों में उन शर्तों पर ले जाने के लिए जो समय-समय पर निर्धारित हों, नाव, मोटर बोट या स्टीम-बोट खरीदना, किराए पर लेना या दूसरी तरह से प्राप्त करना;

(ज) मछलाना, सिंघाड़ा इत्यादि जल से उत्पन्न होनेवाली वस्तुओं के उत्पादन, वितरण एवं खपत की उचित व्यवस्था करना ।

(झ) समिति के व्यवसाय के लिए जरूरी जमीन, इमारत या कोई, दूसरी चल सम्पत्ति खरीदना या ठीके पर या बदले में लेना या दूसरी तरह से ठीक करना; और

(ञ) आम तौर पर हर ऐसे काम करना या कार्यवाई करना जो इस उद्देश्यों की पूर्ति करें ।

कार्य-क्षेत्र : समिति का कार्यक्षेत्र.....होगा ।

5. सदस्यता -

(1) समिति की सदस्यता पृथक परिवारों के पुरुष अथवा महिला के लिए खुली रहेगी जो-

(क) समिति के कार्यक्षेत्र में मछली मारन का काम करते हों ।

(ख) आम तौर पर कार्य क्षेत्र में रहते हों ।

(ग) अच्छे चाल-चलन और स्थिर बुद्धि के हों ।

(घ) 18 वर्ष से अधिक उम्र के हो, परन्तु किस्मि मृत सदस्य का नाबालिक वारिस भी सदस्य वैध अभिभावक के द्वारा हो सकता है । ऐसे नाबालिक सदस्य को ऋण नहीं दिया जाएगा ।

(2) समिति के सदस्य वे होंगे -

(क) जो रजिस्ट्री की दर्खास्त और इन उन-विधियों पर दस्तखत बनाए होंगे और

(ख) जो उप-विधियों के अनुसार पीछे सदस्य बनावे गये हो ।

(3) हर व्यक्ति जो सदस्य बनेगा -

(क) एक रुपया प्रवेश फी देगा, जो रकम किसी भी सूत में लौटाई नहीं जायेगी;

(ख) कम से कम एक हिस्सा (शेयर) खरीदेगा;

(ग) समिति की सदस्य-वही में अपना दस्तखत या अंगूठे का निशान बनायेगा;

(घ) अपना पता बतायेगा जो रजिस्टर में दर्ज कर लिया जायेगा । यह पता उसका निवास-स्थान समझा जायेगा ।

(4) कोई व्यक्ति समिति के सदस्य होने योग्य नहीं होगा, यदि -

(क) वह अठारह वर्ष से कम का हो;

(ख) वह समिति का अथवा सम्बद्ध करने वाली समिति का वतनभोगी कर्मचारी है;

(ग) यह पागल है;

(घ) उसने दिवालिया या शोधनाक्षम (इस्योलभेन्ट) न्याय निर्मित होने के लिए आवेदन किया है या वह अप्रमाणित दिवालिया है या अनुप्राप्त शोधनाक्षम (इस्योलभेन्ट) है;

(इ) उसे राजनीतिक अपराध को छोड़कर कोई दूसरे अपराध के लिए सजा हुई हो अथवा ऐसे अपराध के लिए सजा हुई हो जो नैतिक आचरण को अन्तर्गत करती हो और वह सजा रह नहीं की गई हो या ऐसा अपराध क्षमा नहीं कर दिया गया हो; वह अयोग्यता सजा की समाधि से 5 वर्ष के बाद से नहीं होगी;

5. सदस्यों का चुनाव -

(1) प्रत्येक व्यक्ति जो मेम्बर होना चाहे, प्रबन्धकारिणी कमिटी द्वारा निर्धारित फार्म में एक दर्खास्त मंत्री के पास देगा । इस दर्खास्त पर कम-से-कम दो सदस्यों की अनुमति होगी ।

(2) विचार के बाद प्रबन्धकारिणी कमिटी उचित जाँच पड़ताल के बाद उनकी दर्खास्त को मंजूर अथवा नामंजूर कारण बताते हुए करेगी ।

(3) फैसेला हो जाने के दो हफ्ता के भीतर चुने जाने या सदस्यता अस्वीकृत होने की सूचना दे दी जायेगी ।

(4)

(4) दर्खारस्त नामजूर होने पर प्राप्ती को अधिकार होगा कि निर्णय की प्राप्ति के 60 दिनों के अन्दर निबन्धक, सहयोग समितियाँ के समक्ष अवगल करे, जिनका निर्णय अन्तिम होगा ।

7. सदस्यों के अधिकार - किसी भी व्यक्ति को सदस्यता का अधिकार तब तक नहीं प्राप्त होगा जब तक वह -

(क) प्रवेश शुल्क न दे;

(ख) कम-से-कम एक हिस्सा न ले ले और ऐसे हिस्से के लिए पहला किस्त जमा न कर दे; और

(ग) इस तरह की घोषणा पर दस्तखत न बना ले कि वार्ड-लॉज द्वारा वह शासित होगा ।

8. मनोनयन (नोमिनेशन)

(1) हर सदस्य लिख कर किसी व्यक्ति को मनोनीत करेगा जिसे उसकी मृत्यु के बाद ऐक्ट और रूलस के मुताबिक शेयर (हिस्सा) उसका सूद, हिस्से की कीमत तथा सूद मिलेगा या उसका नाम बदल दिया जायेगा ।

सदस्य को ऐसे मनोनयन को बदलने या रद्द करने का अधिकार होगा परन्तु ऐसे रद्द करने की या बदलने की सूचना समिति के पास भी लिखकर भेजना होगा ।

(2) ऐसी हालत में जबकि मनोनीत व्यक्ति मर जाय, सदस्य इसकी खबर समिति को देगा और साथ ही मृत व्यक्ति की जगह में किसी दूसरे को मनोनीत करेगा ।

9. सदस्यों पर जुर्माना, निलम्बन तथा निष्कासन :

(1) प्रबन्धकारिणी कमिटी किसी सदस्य की चाल-चलन की जाँच के बाद और जरूरी गवाही लेकर, निम्नलिखित कारणों से किसी एक के लिए जुर्माना कर सकती है, सस्पेन्ड कर सकती है या निकाल सकती है :-

(क) ऐक्ट, रूलस और समिति की उपविधियाँ को जान बूझकर उल्लंघन करने पर;

(ख) ऐसे कार्यों के लिए जो प्रबन्धकारिणी कमिटी की राय में समिति के उद्देश्य के प्रतिकूल हों;

(ग) जान-बूझकर किस्त खिलाफी करने पर या बेइमानी करने पर या किसी भी ऐसी शर्त को तोड़ने पर जो समिति और मेम्बर के बीच किसी नैके से तय पाई हो ।

(5)

2. जब कभी भी सदस्य पर जुर्माना हो या वह सस्पेन्ड किया जाय या सदस्यता से हटाया जाय तो इस हुक्म को आम सभा से स्वीकृत करा लेना होगा । यह मीटिंग ऐसी राय होने के दो हफ्ते के भीतर जरूर बुलानी होगी । जुर्माना या सस्पेन्ड की राय आम सभा के बहुमत से स्वीकृत हो सकती है पर सदस्यता से हटाने की सजा की स्वीकृति तीन-चौथाई से कम सदस्यों की राय से न होनी चाहिए ।

0. सदस्यता की समाप्ति

(1) किसी सदस्य की सदस्यता खत्म समझी जायेगी जब-

(क) वह स्थायी रूप से समिति के दायरे के बाहर अपना काम करने लगे;

(ख) निकाल दिया जाय;

(ग) इस्तीफा दे दे और वह प्रबन्धकारिणी कमिटी द्वारा स्वीकृत हो जाय;

(घ) दिवालिया हो जाय;

(ङ) मर जाये; और

(च) पागल हो जाय ।

(2) कोई भी सदस्य, सदस्य बनने के कम-से-कम एक साल बाद, कमिटी को तीन महीना की सूचना देकर समिति से हट सकता है बशर्ते कि समिति का कोई भी कर्जा उसके जिम्मे नहीं है या किसी दूसरे सदस्य का जामिन नहीं है ।

(3) कोई भी सदस्य जो उप-विधियाँ (4) में बताए कार्यक्षेत्र से अपना निवास-स्थान बराबर के लिए हटा लेता है मामूली तौर पर मेम्बर नहीं रह जायेगा जब तक कि कमिटी उसे सदस्य बन रहने की आज्ञा नहीं दें ।

11. निधि :

(1) ऐक्ट, रूलस और इन उपविधियों की शर्तों के अनुसार समिति की निधि निम्नलिखित जरिये से इकट्ठा की जा सकती है-

(क) हिस्सा जारी करके;

(ख) सदस्यों का रुपया जमा करके;

(ग) रुपया देने वाले बैंकों से और दूसरी जगहों से कर्ज लेकर जिसके लिए कि को-ऑपरेटिव सोसाइटीज के रजिस्ट्रार की पहले से आज्ञा जरूरी है;

- (घ) सरकार और दूसरे जरियों से दान, चन्दा और मदद लेकर ।
- (2) कर्ज लेने की हद : समिति का बाहरी दायित्व चुकाई गई हिस्सा-पूँजी जॉइ सुरक्षित निधि के पांच गुना से अधिक नहीं बढ़ेगा ।
- (3) निधि का खर्च : समिति की निधि नीचे लिखे तौर पर खर्च होगी :-
- (क) सदस्यों को कर्ज या पेशगी देने में;
- (ख) सदस्यों की भलाई के लिए रुपये लगाने में;
- (ग) सदस्यों की हितोन्नाति में मछली मारने का हक खरीदने, ठीका लेने या दूसरे तरीके से पाने में और समिति के काम के लिए ऑफिस बनवाने या दूसरी जरूरतों में, समिति को चलाने में ऑफिस के खर्च कागज-पत्र आदि के खर्च में, सूद देने या हिसाब जाँच कराने की फीस में और दूसरे मामूली खर्चों में ।
- (4) निधि का धन लगाना : समिति की निधि जो व्यवसाय में नहीं लगी हो, जमा की जा सकती है या किसी दूसरे रोजगार में लगायी जा सकती है :
- (क) सरकार, बचत बैंक में अथवा
- (ख) अपने वित्त दाता बैंक में, अथवा
- (ग) भारतीय न्यास अधिनियम 1882 (1882 के सं०-2) की धारा 20 में बतायी गयी किसी प्रतिभूति में, अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बतायी गयी प्रतिभूतियों में, अथवा
- (ङ) रजिस्ट्रार के सामान्य अथवा विशेष मन्जूरी से और उन शर्तों पर जो वह अधिरोपित करे-किसी अन्य निर्वाचित सोसाइटी की प्रतिभूति पर अथवा शेयरों में,
- (च) किसी अनुसूची बैंक में अथवा रजिस्ट्रार की मन्जूरी से बैंक का कारोबार करने वाले किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के पास ।
- (छ) नियमावली द्वारा अनुमत किसी अन्य रीति से निवेशित अथवा जमा कर सकेंगी ।

12. हिस्से :- समिति की नामनिर्वाही हिस्सा पूँजी..... रुपये की होगी जो..... हिस्सों में बाँटी होगी । हर हिस्से की कीमत 10 (दस) रुपये होगी । हिस्सा सिर्फ सदस्यों के हाथ बेचा जायेगा ।
13. चुकाई गई हिस्सों की पूँजी के 1/5 से या एक हजार रुपये से, दोनों में जो कम हो, अधिक का हिस्सा कोई सदस्य नहीं रख सकेगा । हर सदस्य जो भी हिस्सा या हिस्से लेंगे उनका मूल्य एकमुश्त या हर हिस्से पर मासिक किस्त के रूप में जो कम-से-कम दो रुपये होगा, देंगे (या, शेयर की कीमत जब-जब आम सभा माँगें तब-तक देंगे)
14. (1) देर से दी जाने वाली हिस्सों की किस्तों पर सूद लगेगा जो सवा छः रुपये सैकड़ सालाना की दर से होगा और उस तारीख से लगेगा जिस दिन देने की तारीख हो ।
- (2) हिस्से के लिये दी जानेवाली रकम अगर तीन महीने से ज्यादा दिनों तक बाकी रह जाय तो कमिटी उन्हें जब्त कर लेगी, उन पर दिए हुए सभी रुपये भी जब्त हो जायेंगे और उन हिस्सों के चलते सदस्यता का हक खत्म हो जायेगा । जब्त होने की नोटिस के तीन महीने के भीतर सभी बकाया रकम और सूद तथा फिर से जारी किए जाने के लिए फीस जो फी हिस्सा पचास नये पैसे की होगी, देने पर हिस्से फिर से जारी हो सकते हैं ।
15. प्रबन्धकारिणी कमिटी की स्वीकृति से हिस्से किसी सदस्य या सदस्यों के नाम बदल दिए जा सकते हैं, पर हिस्से कम से कम 12 महीने रखने के बाद दूसरे सदस्य के हाथ बेचे जा सकते हैं और समिति का कर्ज रहते हुए किसी भी सदस्य को कोई हिस्सा दूसरे के हाथ बेचने का अधिकार नहीं होगा ।
16. (क) समिति से संबंध विच्छेद करने पर या समिति से निकाले जाने पर शेयर (हिस्सा) की देन में देर करने के अलावे दूसरी इल्लत पर, समिति का कुल बकाया काटकर हिस्से की खालिस कीमत, सदस्यता खत्म होने के छः महीने के भीतर लौटा दी जायेगी ।
- (ख) सदस्य की मृत्यु की हालत में, समिति की निधि में सूद का हिस्सों को बदलने का सवाल, बिहार को-ऑपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट की धारा 24 के अनुसार फैसला होगा ।

(8)

(9)

17. हर सदस्य को समिति का मोहर दिया एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें बताया रहेगा कि कितने हिस्से या हिस्सा उन्हें मिले। अगर यह सर्टिफिकेट पुराना हो जाय या गुम हो जाय तो पाँच रुपये देने पर फिर बदला जा सकता है।
18. (क) समिति के कर्ज में सदस्यों का दायित्व लिए हुए हिस्से की कीमत का दुगुना होगा।
(ख) समिति के कर्ज में ऐसे आदमियों का दायित्व जो अब सदस्य नहीं हैं या ऐसे आदमी के रियायत पर जो मर चुका है, दायित्व उनकी सदस्यता खत्म होने की तारीख से दो साल तक रहेगी।
19. **आमसभा :** समिति का सर्वोच्च अधिकार आम सभा के हाथों होगा। हर सदस्य को केवल एक वोट होगा चाहे हिस्से जितने भी हों। सभी सबलों का फसला बहुमत से होगा और बराबर वोट होने की हालत में चेरमैन को कास्टिंग वोट (निर्णायक मत) देने का अधिकार होगा। कुल सदस्यों के 1/5 का कोरम होगा। सदस्य विशेष की अनुपस्थिति में प्रतिपञ्जी (प्रौक्सी) का अधिकार नहीं होगा।
20. आम सभा समिति की कार्यवाही का आम निरीक्षण खासकर प्रबन्ध कारिणी कमिटी के कामों को करेगी और समिति के हित में जो काम जरूरी समझे जायेंगे उन्हें देखेंगे।
21. आम सभा तीन तरह की होगी—साधारण (वार्षिक), असाधारण और विशेष।
22. (1) समिति की वार्षिक आम सभा सालाना हिसाब की वैधानिक जाँच के छः महीने के अन्दर होगी। यदि किसी कारणवश सालाना हिसाब किताब की जाँच न हो और उसमें मुनाफ़े का बँटवारा छेड़कर वार्षिक आमसभा के बाकी सभी एजेन्डा (कार्यावली) के अनुसार कार्य किये जायेंगे।
(2) नियमावली 1959 के प्रावधानों के तहत संचालन पदाधिकारी द्वारा नियुक्त निर्वाचन पदाधिकारी एवं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विशेष आमसभा में प्रबन्धकारिणी कमिटी के सदस्यों एवं मंत्री का निर्वाचन होगा।
(3) वार्षिक आम सभा के निम्नलिखित काम होंगे—
(क) प्रबन्धकारिणी कमिटी की रिपोर्ट को जाँचना।

- (ख) ऑडिट रिपोर्ट और हिसाब-किताब का ऑडिटेड व्योरा जाँचना।
 - (ग) आगामी साल में अधिक से अधिक कितनी रकम उप-विधियाँ 11 की शर्तों के मातहत कर्ज लिया-दिया जाय;
 - (घ) भविष्य के प्रबन्ध पर विचार करना ताकि समिति के भिन्न-भिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हो;
 - (ङ) ऐसे निर्देश देना जो मछली मारने का ठीका लेना या इंतजाम में जरूरी हो;
 - (च) समिति की ओर से या सदस्यों के बदले, पकड़ी हुई मछलियों को बेचने में जो निर्देश देने जरूरी हो।
 - (छ) ऐसे आम आदेश देना, जो नाव और मछली मारने के सामान के सप्लाइ में जरूरी हो;
 - (ज) ऐसे आदेश जो सदस्यों को नकदी अगबढ़ देने में जरूरी हो।
 - (झ) प्रबन्धकारिणी कमिटी और अफसरों के खिलाफ शिकायतें सुनना।
 - (ञ) मुनाफा बांटना;
 - (ट) सालाना बजट पास करना;
 - (ठ) ऐसे बातों पर ध्यान देना जिसकी समिति की आर्थिक स्थिति पर असर हो और इनके सम्बन्ध में प्रस्ताव पास करना; और
 - (ड) किसी ऐसे काम को करना जो सभा के सामने प्रबन्ध कारिणी कमिटी द्वारा उपस्थित किया जाय।
- असाधारण आम सभा :** असाधारण आम सभा कभी भी संचालक मंडल के द्वारा अथवा कुल सदस्यों के 1/10वें हिस्से या सात जो अधिक हो, के लिखित आवेदन पर एक महीने के भीतर बुलाई जा सकती है। आवेदन-पत्र में असाधारण आम सभा के बुलाने की आवश्यकता दी जायेगी।
24. **विशेष आम सभा :** विशेष आम सभा निबंधक सहयोग समितियाँ या उससे अधिकार प्राप्त अफसरों के द्वारा लिखित आग्रह करने पर प्रधान

कार्यालय के उस स्थान पर और उस समय बुलाई जा सकती है जिसका प्रार्थना पत्र में विशेष रूप से वर्णन होगा। निबंधक अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति की आज्ञा प्राप्ति के 21 दिनों के अन्दर मंत्री विशेष आम सभा बुलाने को बाध्य होंगे। यदि मंत्री विशेष आम सभा नहीं बुलावे तो निबंधक अथवा अधिकृत व्यक्ति सदस्यों को 15 दिनों की सूचना देकर खुद सभा बुला सकते हैं। ऐसी विशेष आम सभा को आम सभा के सभी अधिकार प्राप्त होंगे।

25. आम सभा की सूचना बैठक होने के दिन से कम-से-कम सात दिन पहले हर सदस्य के पास भेजी जायेगी जिसमें बताया रहेगा कि किन कामों के लिए बैठक होगी और कहाँ, किस दिन, किस तारीख को होगी। वह नोटिस जिस पर सदस्यों की दस्तखत बनी होगी तथा उनका जबाब भी रहेगा, मीटिंग में रखी जायेगी ताकि यह निश्चित हो जाय की सूचना ठीक तरह से दी गई थी।

26. यदि असाधारण आम सभा के लिए निश्चित समय के एक घंटे के भीतर अगर कोरम पूरा न हो तो चेयनमैन इसे भंग कर देंगे और अगर दूसरी तरह बुलाई गई है तो इसे किसी दूसरे दिन के लिए जो कम-से-कम एक हफ्ता और अधिक-से-अधिक तीन हफ्ता के बाद नहीं होगा, स्थगित कर देंगे। इस स्थगित बैठक में केवल वही बातें विचाराधीन होंगी जो कि पहले दिन के लिए निश्चित थी। अगर इस स्थगित सभा में भी कोरम पूरा नहीं होगा तो प्रस्ताव उपस्थित मंत्रियों (सदस्यों) के 3/4 के बहुमत से स्वीकृत होगा।

27. प्रबन्धकारिणी कमिटी—प्रबन्धकारिणी कमिटी 13 (तेरह) सदस्यों की होगी।

अध्यक्ष, मंत्री/कोषाध्यक्ष एवं बाकी प्रबन्धकारिणी के सदस्य, विशेष आम सभा द्वारा चुने जायेंगे। कोई भी व्यक्ति जो किशत देने में देर करने वाला है, प्रबन्धकारिणी कमिटी का सदस्य नहीं हो सकता है और अगर चुना गया सदस्य, चुने जाने के बाद किशत देने में चूक जाय और किशत देने की तारीख के तीन महीने के भीतर न दे तो वह कमिटी का सदस्य न रहेगा।

28. अगर कमिटी का कोई सदस्य समिति का सदस्य न रहे या बिना किसी खास वजह के लगातार तीन मीटिंग में उपस्थित न हो तो कमिटी के दूसरे सदस्य उसकी जगह में दूसरा सदस्य चुनेंगे जो आम सभा की

- दूसरी बैठक तक सदस्य रहेगा। साल के भीतर अगर किसी पदाधिकारी की जगह खाली होगी तो प्रबन्धकारिणी कमिटी के सदस्य काम चलाऊ चेयरमैन, मंत्री या कोषाध्यक्ष नियुक्त करेंगे और ये दूसरी आम सभा तक अपने पद पर बने रहेंगे। किसी भी सदस्य को कोई वेतन बिना रजिस्ट्रार की अग्रिम स्वीकृत के नहीं मिलेगा।

29. काम के लिए जितनी बार भी जरूरत होगी कमिटी की बैठक निश्चित स्थान और समय पर होगी। इन बैठकों के प्रधान कमिटी के चेयरमैन होंगे पर उनकी अनुपस्थिति में सदस्य दूसरा चेयरमैन को चुन सकते हैं। प्रबन्धकारिणी कमिटी के सात सदस्यों का 'कोरम' होगा। कमिटी की बैठक की कार्यवाही "कार्यवाही पुस्तिका" में लिखी जायेगी जो मंत्री के पास रहेगा और जिस पर चेयरमैन तथा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों की दस्तखत होगी। किसी ऐसे विषय के प्रस्ताव पर जिसका संबंध आर्थिक लेन-देन से है, हर उपस्थित सदस्य को वोटिंग चाहे वह प्रस्ताव के समर्थन में हो या उसके प्रतिकूल दर्ज की जायेगी।

30. ऐक्ट, रूल्स या इन उपविधियाँ द्वारा दिए जाने वाले साधारण अधिकारों पर प्रतिबन्ध नहीं लगाते हुए निम्नलिखित अधिकार और अधिकार स्पष्ट रूप से प्रबन्धकारिणी कमिटी को दिए जाते हैं—

- (1) नये सदस्यों को भर्ती करना;
- (2) किसी सदस्य को जुर्माना, सस्पेन्ड या सदस्यता से हटा देने पर आम सभा की स्वीकृति आवश्यक होगी;
- (3) निधि एकत्र करना;
- (4) समिति की निधि को व्यवसाय में लगाना;
- (5) रजिस्ट्रार के समय-समय पर दी गयी हिदायत के अनुसार समिति जिस तरह उचित समझे समिति के प्रबन्ध के लिए उचित उपाय करे और खासकर वेतनभोगी या बिना वेतन वाले अफसरों को (जैसा वह उचित समझे) नियुक्ति करे और उनका वेतन निश्चित करे तथा उनके कर्तव्य और अधिकार बनावे;
- (6) कानूनी कार्रवाई करना, ऐसी कार्रवाइयों में बचाव करना या सुलह करना;
- (7) हिस्सों की दरखास्त का फैसला करना;

- (8) अगवढ़ और कर्ज की दख्खान्तों का फ़ैसला करना तथा यह भी निर्धारित करना कि जमानत कैसी हो;
- (9) सदस्यों की हितोन्नति में चाहे खरीदकर, ठीका लेकर या दूसरी तरह से मछली मारने का हक हासिल करना तथा जमीन, ऑफिस बनवाने के लिए या समिति के कारबार के लिए जरूरी किसी दूसरे काम के लिए लेना;
- (10) समिति की ओर से या सदस्यों की तरफ से पकड़ी गई मछलियों की विक्री का प्रबन्ध करना;
- (11) सदस्यों के हाथ बेचने के लिए मछली मारने के सामान या नाव खरीदना या दूसरी तरह जुटाना;
- (12) समय-समय पर जो उप-समितियाँ जरूरी हों उनको नियुक्त करना तथा उनके अधिकार और कर्तव्य निर्धारित करना;
- (13) समिति के कारबार को चलाने के लिए नियम बनाना और उसके रजिस्ट्रार साहेब से मंजूरी लेकर काम में लेना। यदि कमिटी नियम न बना सके तो रजिस्ट्रार नियम बनावेंगे, जो समिति को मान्य होगा;
- (14) रुपया लेना और बाँटना-कितना अधिक शेष रोकड़ खजाने के पास रहे इसका निश्चय करना, बाकी रुपये को नजदीक से नजदीक सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस में जमा करना अथवा अन्य बैंक में रजिस्ट्रार की अनुमति से रुपया जमा हो सकता है;
- (15) यह बताना कि कौन-से अफसर हिसाब-किताब, दूसरे खाते और रजिस्टर रखेंगे, कौन-से रिटर्न और व्योरा देंगे तथा रुपया रखेंगे;
- (16) समय से और बराबर समिति का हिसाब किताब मुनासिब किताबों में दर्ज करना;
- (17) रुपयों के पाने और खर्च करने का सच्चा हिसाब तथा आय व्यय का हिसाब रखना;
- (18) सालाना रिपोर्ट, जमा खर्च का जाँच किया हुआ सालाना व्योरा मुनाफ़े के बटवारे के लिए कोई सुझाव अगर हो, सालाना बजट तैयार करना और वार्षिक आम सभा के सामने उपस्थित करना;

- (19) खर्च का व्योरा, जिसमें हिसाब की जाँच के लिए एक सिलसिलेवार सूची और एक ऐसी सूची जिसमें डूबने वाले और शंका के कर्ज बताए हुए हो, तैयार करना और आय-व्यय निरीक्षक (ऑडिटर) के सम्मुख उपस्थित करना;
 - (20) रजिस्ट्रार साहेब जिन फारमों में, व्योरा, हिसाब-किताब या रिटर्न माँगे, उसे तैयार कर भेजना;
 - (21) सदस्यों का रजिस्टर और दूसरे खाते तथा हिसाब-किताब भरकर तैयार रखना;
 - (22) खाते और रजिस्टर जाँच करने वाले अफसरों को इनकी जाँच में मदद देना;
 - (23) मांग करने पर विशेष या असाधारण आम सभा की बैठक बुलाना;
 - (24) उचित समय पर साधारण (वार्षिक) आम सभा बुलाना;
 - (25) इस पर नजर रखना कि कर्ज और अगवढ़ जिस लिये जाते हैं उस मसरफ में खर्च होते हैं और ठीक वक्त पर लौटाए जाते हैं;
 - (26) कर्जों और अगवढ़ों की चुकती में बकाया पड़ने पर देर होने पर जाँच कराना तथा इस पर मुनासिब कार्रवाई करना;
 - (27) हिसाब-किताब तथा मुलाहिजे के नोटों में जो गलतियाँ और बेकायदे काम बताये जायें उन्हें दूर करना तथा सुधारना।
31. मंत्री के कर्तव्य और अधिकार : प्रबन्धकारिणी कमिटी के साधारण निर्देश को मानते हुए मंत्री समिति के कारबार को देखेंगे और इसके लिए
- (1) उन्हें निम्नलिखित अख्तियार होंगे :
 - (क) समिति के काम करनेवाले लोगों का नियंत्रण;
 - (ख) कानूनी कचहरी और दूसरी जगहों में कानूनी कार्रवाइयों को चलाना, दायर करना और बचाना;
 - (ग) आमसभा बुलाना और प्रबन्धकारिणी कमिटी की बैठक बुलाकर उसमें उपस्थित रहना; और
 - (2) वे निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेंगे :-
 - (क) प्रबन्धकारिणी कमिटी के सम्मुख आँकड़े तैयार कर रखना-

- (अ) वे खर्च, जो उनकी राय में, आगामी वर्ष में समिति द्वारा किए जाने चाहिए, और
- (आ) कुल आमदनी का, जो उस साल में सभी जरियों से हुई हो, यह ऐसे फारस में और ऐसे वक्त पर बताया जायेगा जो प्रबन्धकारिणी कमिटी बतायेगी,
- (ख) समिति को ओर से रुपये वसूल करना और पाए हुए रुपयों के लिए रसीद (ऐसे रसीदों को छोड़कर जिनमें किसी तरह की शर्तबन्दी की बात हो) देना;
- (ग) समिति के रुपये से इन्तजाम और कारोबार चालू रखने के सभी खर्च, जैसे, कार्यकर्ताओं का वेतन कानूनी खर्च, डाक खर्च तार, कागज, बगैरह । छपाई, विज्ञापन, भत्ता, रोशनी, किराया और इसी तरह के दूसरे खर्च देना ।
- (घ) समिति को मिला हुआ सभी रुपया और धन प्रबन्ध कारिणी कमिटी द्वारा बताए बैंक में जमा करना और रोज का खजाना खजानों को देकर "कैश बुक" में दस्तखत लेना;
- (ङ) समिति के काम-काज और हिसाब-किताब का ठीक-ठीक व्यास रखना ।
- (च) समय-समय पर ऐसे अधिकारी के सामने जमा खर्च का व्यास उपस्थित करना जिसे प्रबन्धकारिणी कमिटी निर्दिष्ट करें ।
32. कार्य-परिचालन :
- (1) प्रबन्धकारिणी कमिटी मछली मारने के ठीकों का इन्तजाम आमसभा के साधारण निर्देश और सभी सदस्यों के हित का ख्याल करते हुए करेगी ।
- (2) समिति के उद्देश्यों की उन्नति में और सदस्यों का हित-साधन में समिति गैर-सदस्यों के साथ कारवार कर सकती है पर समय-समय पर रजिस्ट्रार जो हिदायत देते उनका पालन होगा ।
- (3) आम-सभा जो निर्देश दे उसका ख्याल करते हुए प्रबन्धकारिणी कमिटी-
- (क) मेम्बरों से मछली मारने के औजारों और नावों के खरीदने का ऑर्डर लेकर मेम्बरों की जिम्मेदारी पर

- उनके ऑर्डर के मुताबिक खरीद कर सकती है और ऐसे कारवार पर कमीशन ले सकती है;
- (ख) मछली मारने के सामान और नाव, सदस्यों के हाथ भाड़ा पर देने या बेचने के लिए खरीद कर या दूसरी तरह से उपर कर सकती है ।
- (ग) इन उप-विधियों में बताए कारोबार में से कुल या कोई कर सकती है;
- (4) प्रबन्धकारिणी कमिटी, समिति को ओर से, पकड़ी गई मछलियों को इस हिसाब से बिकवायेगी जिससे बीच के अधिक लोगों को मुनाफे के हिस्सा न देना पड़े और कारवार की हिफाजत का ख्याल करते हुए ज्यादा-से-ज्यादा मुनाफा मिले ।
- (5) समिति के बदले प्रबन्धकारिणी कमिटी सदस्यों द्वारा पकड़ी गई कुल मछलियों को उनकी जिम्मेदारी पर, एक साथ बेचने के लिये इकट्ठा कर सकती है और इसके लिए कमीशन ले सकती है ।
- (6) प्रबन्धकारिणी कमिटी सदस्यों से उनकी मछलियाँ, सदस्यों के फायदे के लिए बेचने को और इसके लिए कि बीच में मुनाफा मारने वालों की संख्या अधिक न हो, खरीद सकती है ।
- (7) यह समिति प्राप्त जलकरों की बन्दोबस्ती को रकम का दो प्रतिशत बिहार, राज्य मत्स्यजीवी सहयोग संघ, लिमिटेड को चन्दा के रूप में संचालन के लिए देगी ।
33. सदस्यों को कर्ज
- (क) समिति सदस्य के सिवा दूसरे को कर्ज नहीं देगी ।
- (ख) कोई सदस्य अपने हिस्सों की कीमत के तीन गुनी रकम तक कर्ज पा सकता है ।
34. समिति के द्वारा दिये गये कर्ज पर सूद की दर 9 रुपये प्रति सैकड़ा-सालाना से अधिक नहीं होगी और चक्रवृद्धि व्याज नहीं लिया जायेगा ।
35. कर्ज सदस्यों को केवल उनके व्यवसाय से संबंधित उत्पादन के लिए दिया जा सकता है ।

36. पचास रुपये से नीचे के कर्ज के लिए एक और अधिक रकम के लिए दो जमानतदार देने होंगे। इन जमानतों के अलावे प्रबन्धकारिणी कमिटी जब जरूरी समझे तब दूसरी ऐसी जमानतें मांग सकती है जो बतौर अनुसंगिक जमानत के हों।

37. कर्ज की अदायगी के लिए किस्त, प्रबन्धकारिणी कमिटी द्वारा, कर्ज दिये जाते समय ही, निश्चित की जायेगी और किस्त बांधने में किस मसराफ के लिए कर्ज लिया गया है और कर्ज लेने वाले की आमदनी क्या है इसपर ख्याल रखा जायेगा पर उस अर्से से फाजिल के लिए, जो आमसभा समय-समय पर मुकर्र करे, कर्ज की अदायगी का अर्सा बढ़ा सकती है पर इसकी सूचना कमिटी को किस्त चुकाने के लिए मुकर्र समय के पहले देनी होगी।

38. अगर कोई कर्ज लेने वाला असल का सूद या किस्त न दे पाये और प्रबन्धकारिणी कमिटी समय न बढ़ावे तो कुल कर्ज मय जुर्मान-सूद के, जिसकी दर वार्षिक आम-सभा मुकर्र करेगी, उसी वक्त देना होगा और उन शर्तों का ख्याल नहीं किया जायेगा जिस पर कर्ज दिया गया होगा।

39. कर्ज लेनेवाला समिति के रुपये से अगर कोई जायदाद खरीदे या रेहन से छुड़ाये तो वह उसे तबतक बेच नहीं सकता, गिरवी या हस्तान्तरित नहीं कर सकता, जबतक की राशि का कर्ज दिया न जा चुके। ऐसा केवल प्रबन्धकारिणी कमिटी की स्वीकृति से या समिति का कर्ज चुकाने के लिए हो सकता है।

40. कोई भी रकम, जो किसी ऐसे सदस्य के जिम्मे बाकी हो जो मर गया है, सदस्यता से अलग हो गया है या निकाल दिया गया है या किसी भी तरह सदस्य नहीं रह गया है, तुरन्त देनी होगी चाहे कर्ज की शर्तें जो भी हों।

41. अगर प्रबन्धकारिणी कमिटी अनुभव करे कि किसी बाकी कर्ज के लिए दी गई जमानत काफी नहीं है तो वह कर्जदार से संतोषजनक जमानत या बाकी कर्ज की अदायगी का मुतालवा कर सकती है।

42. ऊपर जो कुछ भी बताया गया है उसके बावजूद समिति इसका अख्तियार रखती है कि किसी भी बाकी कर्ज की अदायगी का मुतालवा चार हफ्ते की सूचना देकर कर सकती है पर यह अख्तियार तभी काम में लाया जायेगा जबकि या तो समिति के पावनेदारों को मांग

अधिक हो या जबकि समिति के कर्जदार या जमानतदार ऐसी हालत में मालूम पड़े कि समिति का जमा खतरे में हो या उन्हीं तरहों की दूसरी खास सूरत हो।

43. लाभ का बंटवारा :

(1) ऐक्ट और रूल्स की शर्तों के अनुसार समिति का शुद्ध लाभ निम्नलिखित तरीके से बँटेंगा :

(क) शुद्ध लाभ का न्यूनतम पचीस (25) प्रतिशत आरक्षित निधि में जमा होगा। परन्तु राज्य सरकार समिति के कार्य के लिए इस अनुपात में कमी या वृद्धि कर सकेगी।

(ख) शुद्ध लाभ का न्यूनतम दस (10) प्रतिशत राशि सहकारी शिक्षा एवं विकास निधि में हस्तान्तरित किया जायेगा।

(ग) राज्य सरकार के हिस्सा पूंजी में अंशदान यदि कोई हो, तो शुद्ध लाभ का न्यूनतम दस (10) प्रतिशत राशि हिस्सा मोचन निधि में तब तक हस्तान्तरित होगा जब तक यह राशि सरकार के हिस्सा पूंजी के बराबर न हो जाए।

(घ) ऐसे रकम जो आम सभा द्वारा निश्चित हो पर बाकी के 5 (पाँच) प्रतिशत से कम न हो, डूबने वाले कर्ज के फन्ड में जमा होगा।

(2) बाकी रकम ऐक्ट और रूल्स की शर्तों के मातहत और आमसभा के फैसेले के मुताबिक निम्नलिखित कुल या किन्हीं मसरफों में लगेंगी।

(क) शेषों (हिस्सों) पर डिभिडेन्ड देने में पर किसी भी हिस्सों पर दिया गया डिभिडेन्ड 9.5 (साढ़े नौ) प्रतिशत से अधिक न होगा।

(ख) एकड़ गये पदार्थों (मछली आदि) की कीमत पर रिबेट देने में उसकी दर वही होगा जो आम सभा मुकर्र करेगी।

(ग) सदस्यों और मुलाजिमों को प्रोविडेन्ड फन्ड में हिस्सा बढ़ाने में, पर यह उस दर से अधिक नहीं होगा जिस रकम तक की सदस्य या मुलाजिम खुद चन्दा देते हो।

(घ) रजिस्ट्रार श्री स्वीकृति से समिति के लिए की गयी किसी खास ंच पर सदस्यों या मुताजिमाओं को बोनस देने में पर कुल शुद्ध लाभ के 1.1/2 (डेढ़) प्रतिशत से अधिक नहीं जो प्रबन्धकारिणी कमिटी द्वारा निर्देशित हो और आम सभा जिसकी स्वीकृति दें।

(ङ) ऐक्ट और रूलस द्वारा बताये गये खैरात में।

(च) अगले साल के खाते में जाने में या ऐसी किसी खास निधि में जो आम सभा तय करें।

44. सुरक्षित निधि :

(1) समिति के कारबार से अगर कोई लाभ हो तो समिति एक सुरक्षित निधि रखेगी।

(2) सुरक्षित निधि निम्नलिखित की होगी :-

(क) 25 प्रतिशत सुरक्षित निधि में जमा होंगी, परन्तु राज्य सरकार समिति के कार्य के लिए उस अनुपात में कमी या बंसी कर सकेगी।

(ख) प्रवेश शुल्क (समिति की स्थापना में लगे प्रारम्भिक खर्च को काटकर)

(ग) सभी जब्त हुए हिस्सों का।

(घ) अवसर वीते हुए डिभिडेन्ड और जुर्माने का।

(3) "सुरक्षित निधि" समिति की होगी और इसका बँटवारा नहीं होगा तथा इसमें किसी खास हिस्से का अधिकारी कोई सदस्य नहीं होगा;

पर शर्त यह है कि समिति के दो या तीन समितियों में बँट जाने पर सुरक्षित निधि रजिस्ट्रार की आज्ञा से, अनुपात से नई समितियाँ में बँट जायेगी।

(4) "सुरक्षित निधि" रजिस्ट्रार की स्वीकृति से निम्नलिखित कुल या किसी काम में लगेगी-

(क) नुकसान को पूरा करने में, पर बाद के मुनाफे से यह रकम वसूल होगी।

(ख) समिति की किसी ऐसी देन को देने में जो दूसरी तरह से नहीं दी जा सके लेकिन फिर जब नई वसूली होगी तो यह रकम चुकती हो जायेगी और

(ग) जो समिति जो कर्ज ले उसकी जमानत में।

45. (क) समिति अपनी सुरक्षित निधि का वह हिस्सा इस ढंग से अलग-अलग रोजगार में लगाएगी जो रजिस्ट्रार समय-समय पर हुक्म दें।

(ख) सुरक्षित निधि का जो हिस्सा समिति के कारबार में न लगा हो वह बिहार को-ऑपरेटिव सोसाइटी ऐक्ट, 1935 की धारा 19 में बताये ढंग पर जमा होगा या कारबार में लगाया जायेगा।

46. लाभांश (डिविडेन्ड) :

(1) समिति आम-सभा में लाभांश (डिविडेन्ड) देना तय करेगी, पर लाभांश की रकम प्रबन्धकारिणी कमिटी द्वारा सिफारिश की गई रकम से अधिक न होगी।

(2) शुद्ध लाभ में से ही जो सचमुच में वसूल हो और आय-व्यय निरीक्षक द्वारा करार दिया गया हो लाभांश (डिविडेन्ड) दिया जायेगा।

(3) हिस्सों पर दी गई रकम के अनुसार ही लाभांश (डिविडेन्ड) दिया जायेगा।

(4) कुल ऐसे लाभांश (डिविडेन्ड) जो पानेवाले व्यक्ति द्वारा तीन साल तक नहीं लिए जाय और पाई रकम के लिए पक्की रसीद न दी जाय, इस अवधि के वीते जाने पर और प्रबन्धकारिणी कमिटी द्वारा सूचना देने के बाद समिति में जप हो जायेंगे और फिर बाद में नहीं दिये जायेंगे।

(5) लाभांश के लिए समिति सूद नहीं देगी।

47. झगड़े का तिसफिया : कोई ऐसा झगड़ा जो प्रबन्धकारिणी कमिटी द्वारा नहीं तय होगा, ऐक्ट और रूलस में बताये तरीके पर, रजिस्ट्रार के सामने उपस्थित किया जायेगा।

48. उप-विधियाँ में संशोधन : इस संबंध में जो रूलस में बताया गया हो उसके मुताबिक, किसी आम-सभा में इस उप-विधियाँ का संशोधन

किया जा सकता है, किसी को रद्द की जा सकती है या नई उप-विधियाँ बनाई जा सकती हैं पर इस तरह का संशोधन तभी काम आयेगा जब रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्टर कर लिया जायेगा ।

49. **प्रतिनिधित्व :** चेयरमैन और मंत्री या प्रबन्धकारिणी कमिटी के तीन सदस्य जिसमें चेयरमैन या मंत्री होंगे, सभी ऐसे कागज-पत्रों और दस्तावेजों की तामीली और उन पर दस्तखत करेंगे जिनसे समिति की सम्पत्ति और निधि जमा की जा रही हो, खर्च की जा रही हो या किसी दूसरे तरह से उन पर बात चल रही हो और खास कर सभी ऐसी हुण्डी, प्रमिसरी नोट, सिक्कुरिटी और दूसरे कागजात, जो समिति के या उसके नाम में हो, उन्हें भुनाना, स्वीकार करना, बेची लिखना और उनपर बातचीत करना;
- पर शर्त यह है कि 200 रुपये तक के चेक और आमदनी की स्वीकृति चेयरमैन या मंत्री और दूसरे ऐसे अफसर, जिन्हें प्रबन्ध कारिणी कमिटी अख्तियार दें, समिति की ओर से दस्तखत बना सकते हैं ।

50. **मुहर :** समिति के व्यवहार के लिए प्रबन्धकारिणी कमिटी एक मुहर रखेगी जो मंत्रों के कब्जे में रहेगी ।
51. **समिति का विघटन :** समिति का विघटन रजिस्ट्रार की स्वीकृति से और इसी के लिए बुलाए गए विशेष आम सभा में 3/4 सदस्यों के बहुमत से तथा ऐक्ट और रूलस में बताए तरीके पर हो सकता है ।
52. **साधारण :** सभी ऐसी बातें जिनका इन उप-विधियों में उल्लेख नहीं है ऐक्ट और रूलस की शर्तों के मुताबिक तय पायगी ।
- रजिस्ट्री के लिए दी गई दख्खान्त में जो जारीख.....को दी गई है इन्होंने उप-विधियों का उल्लेख है ।

क्रम० सं० सदस्यों का हस्ताक्षर